कार्यालय संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

<u>पता-किशोरपुरा कोटा-09 (राज0), ईमेल:-ccffdp.kota@gmail.com दूरमाष:- 0744-2500194</u> क्रमांक:एफ13(वन संरक्षण)/समुवसं/2021/*1311-*|2 दिनांक: 16.3.

उप वन संरक्षक कोटा/बारां

विषयः Proposal for seeking prior approval of the Central Government under Forest (Conservation)
Act, 1980 for non-forestry use of Forest land for diversion of 700.347 ha.of forest land in
favour of Executive Engineer, WR Division, Kota for Navnera Barrage across River
Kalisindh Near Village Abra Tehsil Digod District, Kota (Rajasthan) under Eastern
Rajasthan. (Online Proposal No. FP/RJ/IRRIG/35905/2018)

संदर्भ : आपके पत्रांक एफ () तक / उवसं / कोटा / 2020 / 1927 दिनांक 10.03.2021 एवं पत्रांक एफ () एफ.सी.ए. / उवसं / 2020-21 / 2262 दिनांक 12.03.2021

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी (एफसीए) राजस्थान जयपुर द्वारा जारी ऑनलाईन ई०डी०एस० दिनांक 15.02.2021 के संलग्न भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इन्दिरा पर्यावरण भवन अलीगंज जोरबाग रोड़ नई दिल्ली के पत्रांक दिनांक 3rd February, 2021 में उल्लेखित बिन्दु संख्या—2

"The proposed forest land for diversion falls under the Inviolate category as per the Decision Support System (DSS) Rule-I due to the existence of the Rate forest type which implies that part of proposed diversion includes portion of one of the last remnants of forest types which is having total extent <50 Sq. Km in the country. The State Govt. in consultation with the Forest Survey of India, Dehradun may explore the possibility to exclude portion of last remnant forest type from the present proposal."

के क्रम में आप द्वारा प्रेषित रिपोर्ट से अधोहस्ताक्षरकर्ता असंतुष्ट है।

अतः उक्त बिन्दु संख्या—2 का भली—भांति परीक्षण कर व्यक्तिगत रूप से पुनः सर्वे कर साइट निरीक्षण रिपोर्ट तैयार कर भिजवावे ताकि आप द्वारा प्रेषित जवाब को मार्गदर्शन हेतु नोडल अधिकारी एफसीए को भिजवाया जा सके।

> (मनोज पाराशर) संभागीय मुख्य वन संरक्षक,